

असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] No. 201] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

सं. एल-1/18/2010-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (चौथा संषोधन) विनियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग–III खंड 4 सं. 162) में तारीख 29.4.2016 को प्रकाषित किए गए थे।

उपरोक्त विनियमों के विनियम 1(2) में यह उपबंधित किया गया था कि उपविनियम 6.3ख उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस तारीख को आयोग राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

विनियम 6.3ख, 6 और 7 के अधीन यथाअपेक्षित रिजर्व सेटेडाउन संबंधी विस्तृत प्रचालन प्रक्रिया तथा प्रतिकर के लिए कार्यप्रणाली आयोग द्वारा तारीख 5.4.2017 को जारी कर दी गई है।

अतः अब, सभी संबंधितों को जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिंड संहिता) (चौथा संषोधन) विनियम, 2016 तथा रिजर्व सेटेडाउन संबंधी विस्तृत प्रचालन प्रक्रिया तथा प्रतिकर के लिए कार्यप्रणाली 15.5.2017 से प्रवृत्त होगी।

> ह0 / – टी. राउत, प्रमुख (विधि) [विज्ञापन–III / 4 / आस. / 67 / 17]

3163 GI/2017 (1)

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2017

**No. L-1/18/2010-CERC.**—Whereas Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fourth Amendment) Regulations, 2016 were notified on 29.4.2016 in the Gazette of India, Extraordinary (Part-III, Section 4, No. 162).

Whereas it was provided in Regulation 1(2) of the above Regulations that sub-Regulation 6.3B would come into force on such date as the Commission may appoint by the notification in the official Gazette.

Whereas the Detailed Operating Procedure on reserve shutdown and the mechanism for compensation as required under Regulation 6.3B, 6 & 7 has been issued by the Commission vide order dated 5.5.2017.

And, now therefore, it is notified for the information of all concerned that Regulation 6.3B of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fourth Amendment) Regulations, 2016 and the Detailed Operating Procedure on reserve shutdown and Mechanism for Compensation shall come into force with effect from 15.5.2017.

sd/-

T. ROUT, Chief (Legal)

[ADVT.-III/4/Exty./67/17]